

पेषक,

श्रवण कुमार सिंह,
उप संचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत,
उसका बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नया सवेरा नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या आर.एफ.186/नौ-9-2015-28 आर. एफ. /15टीसी दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायत, उसका बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर को ₹0 236.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 118.29 लाख अवमुक्त की गयी। उक्त निकाय द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग करते हुये अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन नगर पंचायत, उसका बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर को 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 118.29 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध बचत धनराशि ₹0 67.37 लाख शासनादेश संख्या-42/2016/आर.एफ.253/नौ-9-2016-28आर.एफ./15टीसी0 दिनांक 28 मार्च, 2016 को अवमुक्त की गयी। अतः नगर पंचायत, उसका बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर को अवशेष धनराशि ₹0 50.92 लाख (रूपये पचास लाख बानवें हजार मात्र) की धनराशि उपर्युक्त शासनादेश संख्या-186/नौ-9-2015-28 आर. एफ. /15टीसी दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा निहित व्यवस्था के अन्तर्गत अवमुक्त किया जाना निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक-6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नया सवेरा नगर विकास योजना-0303- नगर पंचायत-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक-

"6215-जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नया सवेरा नगर विकास योजना-0301- नगर निगम-30-निवेश/ऋण ' में उपलब्ध बचत से पुर्नविनियोग कर बहन किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2017 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार 30प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) संख्या- आर.एफ. आर.एफ.186/नौ-9-2015-28 आर. एफ. /15टीसी दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-बी.एम.-9 प्रपत्र

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)

✓ उप सचिव।

संख्या-18/2016/आर.एफ. 19 (1)/नौ-9.2016 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, 30प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 30प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
7. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
8. सम्बन्धित नगर पंचायत, अध्यक्ष, 30प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8
10. गार्ड फाइल।
11. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

AC

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)

✓ उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-03/01/2017


प्रेषण संख्या:- 18
आवंटन आदेश संख्या:- 001-18-2017-RF19-9-9-17-28RF-15TC
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
03 - नया सवेरा नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5092000 119266800	5092000 119266800
	योग	वर्तमान प्रगामी	5092000 119266800	5092000 119266800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख बानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ बानवे लाख छियासठ हजार आठ सौ


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी